"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 जनवरी 2017—पौष 30, शक 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती उषा देवी मानसर (Smt. Usha Devi Mansar) पति श्री कोमल प्रसाद मानसर, उम्र 40 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-287/ए, वार्ड नं. 59 रिसाली सेक्टर, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति श्री कोमल प्रसाद मानसर के भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के विभागीय दस्तावेजों में मेरा नाम उषा देवी दर्ज है एवं मेरे आधार कार्ड तथा अन्य समस्त शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम उषा देवी मानसर दर्ज है. मैं अपने नाम के आगे उपनाम "मानसर" जोड़कर नया नाम/उपनाम श्रीमती उषा देवी मानसर रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती उषा देवी मानसर पति श्री कोमल प्रसाद मानसर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती उषा देवी पति श्री कोमल प्रसाद मानसर निवासी-क्वा. नं.-287/ए, वार्ड नं. 59, रिसाली सेक्टर, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती उषा देवी मानसर पति श्री कोमल प्रसाद मानसर निवासी-क्वा. नं.-287/ए, वार्ड नं. 59, रिसाली सेक्टर, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अमिता साहू, पति श्री पुरूषोत्तम साहू, उम्र 48 वर्ष, निवासी-डुंडेरा वार्ड नं. 41, डुमरडीह, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति श्री पुरूषोत्तम साहू के भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के विभागीय दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती अमिता बाई दर्ज है तथा मेरे आधार कार्ड व अन्य शासकीय दस्तावेजों में श्रीमती अमिता साहू दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम "साहू" जोड़कर नया नाम/उपनाम श्रीमती अमिता साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती अमिता साहू पति श्री पुरूषोत्तम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
अमिता बाई पति श्री पुरूषोत्तम साहू निवासी-ग्राम डुंडेरा,वार्ड नं. 41, डुमरडीह, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती अमिता साहू पति श्री पुरूषोत्तम साहू निवासी-ग्राम डुंडेरा,वार्ड नं. 41, डुमरडीह, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संजीव कुमार घसिया आत्मज श्री तेरस राम जाति घसिया, आयु 28 वर्ष, निवासी-ग्राम -तेंदूभॉटा पोस्ट आफिस-सरखों, तह. जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा नाम संजीव कुमार घसिया है. मैं अपने उपनाम घसिया को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम संजीव कुमार सारथी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे संजीव कुमार सारथी आत्मज तेरस राम सारथी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
संजीव कुमार घसिया आत्मज श्री तेरस राम सारथी निवासी-ग्राम तेंदूभॉठा, पोस्ट आफिस सरखों, तह. जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)	संजीव कुमार सारथी आत्मज श्री तेरस राम सारथी निवासी-ग्राम तेंदूभॉठा, पोस्ट आफिस सरखों, तह. जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हलधर प्रसाद चंद्राकर (Haldhar Prasad Chandrakar) पिता श्री जुगराज सिंह चंद्राकर, उम्र 54 वर्ष, निवासी- मं. नं.-23/7/ए, वार्ड नं.-10, नंदनी नगर, अहिवारा, तह. धमधा, जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के व सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम हलधर प्रसाद (Haldhar Prasad) दर्ज है. मैं अपने पूर्व नाम में "चंद्राकर" जोड़कर अपना नया नाम/उपनाम हलधर प्रसाद चन्द्राकर रख लिया हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे हलधर प्रसाद चंद्राकर पिता श्री जुगराज सिंह चंद्राकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

हलधर प्रसाद (Haldhar Prasad)
पिता जुगराज सिंह चंद्राकर (Jugraj Singh Chandrakar)
निवासी-म. नं.-23/7/ए, वार्ड नं.-10, नंदनी नगर, अहिवारा,
तह. धमधा, जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

हलधर प्रसाद चन्द्राकर (Haldhar Prasad Chandrakar)
पिता जुगराज सिंह चंद्राकर (Jugraj Singh Chandrakar)
निवासी-म. नं.-23/7/ए, वार्ड नं.-10, नंदनी नगर, अहिवारा,
तह. धमधा, जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अजय कुमार सारस्वत आत्मज श्री गोपाल लाल शर्मा, उम्र 38 वर्ष, निवासी-स्टाफ क्वा. नं. जी-1, श्री शंकराचार्य टेक्नीकल कैम्पस, जुनवानी भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे प्रमाण पत्रों व सभी दस्तावेजों में मेरा नाम अजय कुमार शर्मा दर्ज है, मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम अजय कृष्ण सारस्वत रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अजय कृष्ण सारस्वत आत्मज श्री गोपाल लाल शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

अजय कुमार शर्मा
आत्मज श्री गोपाल लाल शर्मा
निवासी-स्टाफ क्वा. नं. जी-1,
श्री शंकराचार्य टेक्नीकल कैम्पस, जुनवानी भिलाई,
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

अजय कृष्ण सारस्वत
आत्मज श्री गोपाल लाल शर्मा
निवासी-स्टाफ क्वा. नं. जी-1,
श्री शंकराचार्य टेक्नीकल कैम्पस, जुनवानी भिलाई,
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लॉरेन्स सिल्वेस्टर (Lawrence Silvester) आत्मज स्व. श्री आर. सिल्वेस्टर, उम्र 56 वर्ष, निवासी-प्लाट नं. 432/1, सड़क नं. 6, आशीष नगर वेस्ट रिसाली भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के संभी दस्तावेजों में मेरा नाम लॉरेन्स सिल्वेस्टर (Larence Silvester) दर्ज है जो कि गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम Lawrence Silvester रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे लॉरेंस सिल्वेस्टर (Lawrence Silvester) आत्मज स्व. श्री आर. सिल्वेस्टर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

LAWRENCE SILVESTER
LATE R. Silvester
RESI- Plot No.-432/1, Street-6,
Ashish Nagar (w) Risali, Bhilai
Tahsil-Distt. Durg (C.G.)

नया नाम

LAWRENCE SILVESTER
LATE R. Silvester
RESI- Plot No.-432/1, Street-6,
Ashish Nagar (w) Risali, Bhilai
Tahsil-Distt. Durg (C.G.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामकुमार वर्मा पिता श्री कुंभलाल वर्मा, जाति लोधी, निवासी-ग्राम व पो. डुमरडीहखुर्द, तह. व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम रामकुमार वर्मा दर्ज है जो कि सही है, किन्तु खैरझिटी व डुमरडीहखुर्द जिला राजनांदगांव के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम हेमन्त कुमार वर्मा पिता श्री कुंभलाल वर्मा दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम रामकुमार वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे रामकुमार वर्मा पिता श्री कुंभलाल वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

हेमन्त कुमार वर्मा
पिता- श्री कुंभलाल वर्मा
निवासी- ग्राम व पोस्ट डुमरडीहखुर्द,
तह. व जिला राजनांदगांव (छ. ग.)

नया नाम

रामकुमार वर्मा
पिता- श्री कुंभलाल वर्मा
निवासी- ग्राम व पोस्ट डुमरडीहखुर्द,
तह. व जिला राजनांदगांव (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास कवर्धा जिला-कबीरधाम

प्रारूप क्रमांक-04

[देखिये नियम-5 (1)]

कवर्धा , दिनांक 10 जनवरी 2017

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

क्रमांक/140/रीडर/अ. वि. अ./2017.— यत: कि जितेंद्र अग्रवाल पिता श्री रामावतार अग्रवाल, निवासी-महावीर स्वामी चौक, लक्ष्मी टाईल्स रायपुर रोड कवर्धा, तहसील-कवर्धा जिला-कबीरधाम ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में "श्रीश्याम बाबा पब्लिक सेवा ट्रस्ट" के नाम से पंजीकृत किये जाने आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचनापत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 45 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति के हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1. श्री रामकरण अग्रवाल पिता स्व. श्री इन्दरचंद जी, पता-रायपुर रोड कवर्धा, छ. ग.
2. श्री बृजलाल अग्रवाल पिता स्व. श्री ग्यारसीलाल जी, पता-वार्ड नं. 23, कवर्धा, छ. ग.
3. श्री भागवत प्रसाद अग्रवाल पिता स्व.श्री गौरीशंकर जी, पता- रायपुर रोड कवर्धा
4. श्री कन्हैया लाल अग्रवाल पिता स्व. श्री बिरबल प्रसाद जी, पता-वार्ड नं.-09, मजगांव रोड कवर्धा, छ. ग.
5. श्री जितेंद्र अग्रवाल पिता श्री रामावतार अग्रवाल, पता-महावीर स्वामी चौक कवर्धा
6. श्री सतीष अग्रवाल पिता श्री हंसराज अग्रवाल, पता-शांतिदीप कालोनी कवर्धा, छ. ग.
7. श्री गोपाल अग्रवाल पिता श्री बजरंग अग्रवाल, पता-बजरंग चौक कवर्धा, छ. ग.
8. श्री संदीप अग्रवाल पिता प्रकाश अग्रवाल, पता-रायपुर रोड कवर्धा, छ. ग.
9. श्री नितेश अग्रवाल पिता स्व. श्री रामावतार जी, पता-राजमहल कॉलोनी कवर्धा, छ. ग.
10. श्री शिव अग्रवाल पिता बृज लाल अग्रवाल, पता-वार्ड नं. 23 सी. एम. हाउस मार्ग कवर्धा, जिला-कबीरधाम, छ. ग.

लोक न्यास का नाम व पता -	श्रीश्याम बाबा पब्लिक सेवा ट्रस्ट, श्री अग्रवाल सभा, अग्रेसन भवन, वार्ड नं.-25, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30, रायपुर रोड कवर्धा, जिला-कबीरधाम.
चल एवं अचल संपत्ति -	दिनांक 15-11-2016 की स्थिति में न्यास के सदस्यों द्वारा एकत्रित की गई राशि 51,000/- रु. एवं न्यास की सम्पत्ति के रूप में ख. नं. 559/2 का टुकड़ा रकबा 0.07 डि. एवं उसमें बना मकान है, जिसका बाजार मूल्य वर्तमान में लगभग 1.00 करोड़ रुपये है.
लोक न्यास का उद्गम -	07-11-2016.
उद्देश्य -	न्यास का मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना है.
न्यास के आय के स्रोत -	न्यास के आय का स्रोत भवन में निर्मित दुकान से प्राप्त होने वाली किराया है, जो वार्षिक लगभग एक लाख रुपये वर्तमान में हो रही है.
औसत सकल वार्षिक आय -	लगभग 1.00 लाख रुपये वार्षिक आय.

डी. एन. कश्यप,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव , दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक/18 /उपंरा/परि./2017.—स्वाती महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्या. डोंगरगांव पं. क्र. DR/RJN/522 वि. ख. डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उपंरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव सम्पन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये है. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये स्वाती महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्या. डोंगरगांव पं. क्र. DR/RJN/522 वि. ख. डोंगरगांव जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री आलोक सिंह सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. यह आदेश आज दिनांक 05-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव , दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक/19 /उपंरा/परि./2017.—बालाजी सहकारी मुद्रणालय सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. DR/RJN/544 वि. ख. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उपंरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव सम्पन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये है. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये बालाजी सहकारी मुद्रणालय सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. DR/RJN/544 वि. ख. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. यह आदेश आज दिनांक 05-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव , दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक/20 /उपंरा/परि./2017.—श्री गणेश बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मोतीपुर पं. क्र. DR/RJN/493 वि. ख. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उपंरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव सम्पन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये है. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री गणेश बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मोतीपुर पं. क्र. DR/RJN/493 वि. ख. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. यह आदेश आज दिनांक 05-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव , दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक/21 /उपंरा/परि./2017.—माँ सरस्वती महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. DR/RJN/535 वि. ख. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उपंरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव सम्पन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये है. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ सरस्वती महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. DR/RJN/535 वि. ख. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. यह आदेश आज दिनांक 05-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव , दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक/22 /उपंरा/परि./2017.—सिद्धी महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. DR/RJN/468 वि. ख. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उपंरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव सम्पन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये है. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये सिद्धी महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. DR/RJN/468 वि. ख. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. यह आदेश आज
दिनांक 05-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव , दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक/23 /उपंरा/परि./2017.—मारूति नंदन बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. ढाबा पं. क्र. DR/RJN/514 वि. ख. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उपंरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव सम्पन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये है. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मारूति नंदन बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. ढाबा पं. क्र. DR/RJN/514 वि. ख. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. यह आदेश आज
दिनांक 05-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव , दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक/24 /उपंरा/परि./2017.—माँ अन्नपूर्णा महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. अचानकपुर पं. क्र. DR/RJN/529 वि. ख. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उपंरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव सम्पन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये है. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये माॅ अन्नपूर्णा महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. अचानकपुर पं. क्र. DR/RJN/529 वि. ख. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. यह आदेश आज दिनांक 05-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव , दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक/25 /उपंरा/परि./2017.—शिखर एग्रो बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. DR/RJN/542 वि. ख. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उपंरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव सम्पन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये है. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये शिखर एग्रो बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. DR/RJN/542 वि. ख. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. यह आदेश आज दिनांक 05-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव , दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक/26 /उपंरा/परि./2017.—परमेश्वरी महिला बहुद्देशीय एवं उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. लखोली पं. क्र. DR/RJN/491 वि. ख. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उपंरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव सम्पन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये है. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये परमेश्वरी महिला बहुद्देशीय एवं उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. लखोली पं. क्र. DR/RJN/491 वि. ख. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. यह आदेश आज दिनांक 05-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव , दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक/27 /उपंरा/परि./2017.—जय मां नवदुर्गा महिला बहुद्देशीय प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. DR/RJN/490 वि. ख. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उपंरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव सम्पन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये है. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय मां नवदुर्गा महिला बहुद्देशीय प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. DR/RJN/490 वि. ख. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. यह आदेश आज दिनांक 05-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव , दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक/28 /उपंरा/परि./2017.—मुस्कान पशु पालन सहकारी समिति मर्या. डोंगरगढ़ पं. क्र. DR/RJN/408 वि. ख. डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उपंरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव सम्पन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये है. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मुस्कान पशु पालन सहकारी समिति मर्या. डोंगरगढ़ पं. क्र. DR/RJN/408 वि. ख. डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री डी. के. मिश्रा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. यह आदेश आज दिनांक 05-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव , दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक/29 /उपंरा/परि./2017.—जनजागृति पशु पालन सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. AR/RJN/394 वि. ख. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उपंरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव सम्पन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये है. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनजागृति पशु पालन सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. AR/RJN/394 वि. ख. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. यह आदेश आज दिनांक 05-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव , दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक/30 /उपंरा/परि./2017.— बिड़ी कामगार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. DR/RJN/475 वि. ख. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उपंरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव सम्पन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये है. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिड़ी कामगार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. DR/RJN/475 वि. ख. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. यह आदेश आज दिनांक 05-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव , दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक/31 /उपंरा/परि./2017.—श्री बालाजी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. AR/RJN/330 वि. ख. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उपंरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव सम्पन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये है. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री बालाजी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. AR/RJN/330 वि. ख. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. यह आदेश आज दिनांक 05-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव , दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक/32 /उपंरा/परि./2017.— नेहरू बेस मेटल औद्योगिक सहकारी समिति मर्या. मालडोगरी पं. क्र. AR/RJN/415 वि. ख. अं. चौकी, जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उपंरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव सम्पन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये है. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये नेहरू बेस मेटल औद्योगिक सहकारी समिति मर्या. मालडोगरी पं. क्र. AR/RJN/415 वि. ख. अं. चौकी, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री डी. सी. देवांगन सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड अं. चौकी, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. यह आदेश आज दिनांक 05-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव , दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक/33 /उपंरा/परि./2017.—प्रियदर्शनी महिला गारमेन्ट उद्योग सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. AR/RJN/459 वि. ख. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उपंरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव सम्पन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये है. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रियदर्शनी महिला गारमेन्ट उद्योग सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. AR/RJN/459 वि. ख. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. यह आदेश आज दिनांक 05-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

डी. आर. ठाकुर,
उप पंजीयक .

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.